कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Phone/ Fax: 0135-2767611

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com

पत्रांक– 248 /FP/UK/ROAD/47083/2020:देहरादूनः दिनांकः 5 जुलाई, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अंर्तगत खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,(उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पंत्राक–8 बी/यू0सी0पी0/06/161/2020/एफ0सी0/505,दिनांक–05.08.2021।

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। जो कि निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आंख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़र द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त संख्या–01 का अनुपालन किया जाएगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण क वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 15.57 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–गुनाकिटान, पट्टी–सिमलता, तहसील गणाई गंगोली में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल पलांटेशन से बचे। राज्य शासन द्वारा सही खसरा नम्बर की जानकारी प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार आनलाईन(पार्ट–2)में सुधार किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अवगतनीय है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 15.57 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–गुनाकिटान, पट्टी–सिमलता, तहसील–गणाई गंगोली में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त स्थल में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुए विस्तृत वृक्षारोपण किया जायेगा।
	ख- रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
	ग - गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। Guideline Para 24 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपुरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 666/सात–23/2022–23 दिनांक–06.01.2023 द्वारा 15.57 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। (संलग्नक–01) उक्त वन भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–02)
	घ. वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–03)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरो पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तभंन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याषित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि बाउचर संख्या 02 दिनांक–10.02.2022 (आई0डी0 W0380142290222l002 date 09.02-2022) द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–04)

5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क– इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक–30.10.2002 01.08.2003 28.03.2008, एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pr-2) दिनांक–18.09.2003 5–2/2006 एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 7.785 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावहन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन मे एन0पी0वी0 की धनराशि वाउचर संख्या 02 दिनांक–10.02.2022 (आई0डी0 W038014229022210001 date 09.02.2022) एवं वाउचर संख्या 03 दिनांक–10.02.2022 (आई0डी0 W038014229022210002 date 09.02.2022) वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–05)
	ख– विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई जो अन्तिम रूप देने के देय हो का राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक–06)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 62 trees से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	राज्य सरकार 12 कूड़ा निस्तारण स्थलों को दर्शाने वाली के0एम0एल0फाईल आन लाईन पोर्टल पर अपलोड करेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (htpps://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
9	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशा–निर्देशो के पैरा 112 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगे। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	उक्त प्रस्तावित परियोजना हेतु वृक्षों के छपान/पातन किये जाने संबधि आदेश संलग्न है। (संलग्नक–07)
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनयमित साइनेज लगाए जायेगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
15	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा। जिस पर Forward/Backword bearings अंकित हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवाहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन्य	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

	भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देष फाइल संख्या 11–42/2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे के निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
24	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेसियों की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (htpps://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर व वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–01/12–1(2) दिनांक–01.07.2022 द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,

वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–248 /FP/UK/ROAD/47083/2020दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा ।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
6. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग, पिथौरागढ़।

(आर0के0मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,

वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।

Khirmandey - Ganai Motor Road(Length-12.00km) with Steel Girder (Plantation Area-15.57 hec. Gunakitan civil)

1:50000

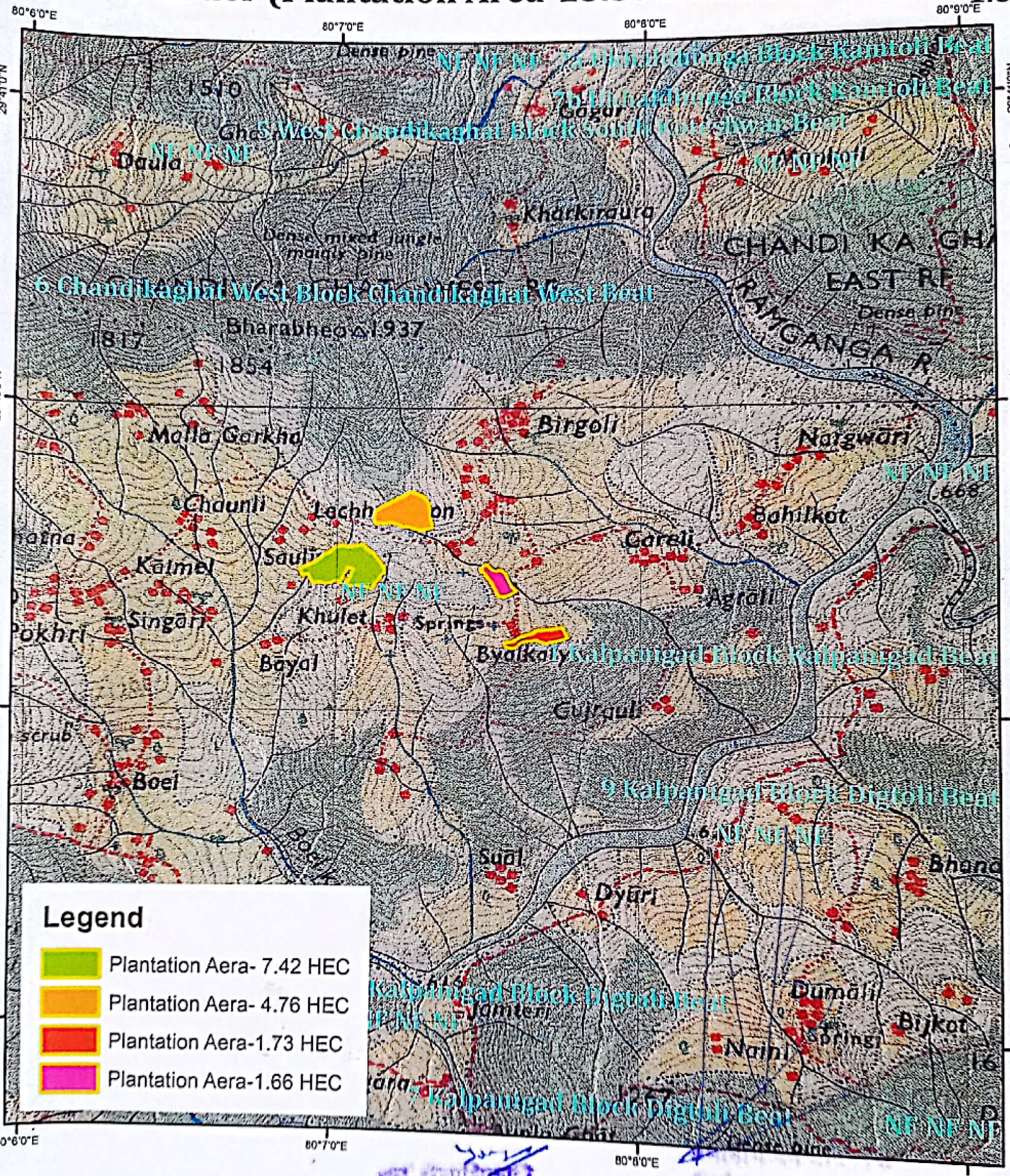

28/01/12

Geo Reference Map Of Ca Land For Khirmandey Ganai Motor Road (Length 12.00 Km.) With Steel Girder Distt. Pithoragarh

0 0.025 0.05 1.00 Km

Scale - 1 : 7,000

Longitude	Latitude
80° 7' 10.632" E	29° 39' 37.314" N
80° 7' 12.613" E	29° 39' 36.434" N
80° 7' 16.130" E	29° 39' 35.692" N
80° 7' 18.714" E	29° 39' 36.171" N
80° 7' 18.309" E	29° 39' 39.922" N
80° 7' 16.412" E	29° 39' 42.496" N
80° 7' 14.377" E	29° 39' 43.192" N
80° 7' 11.341" E	29° 39' 41.666" N
80° 7' 7.470" E	29° 39' 39.579" N
80° 7' 7.015" E	29° 39' 38.190" N
80° 7' 7.436" E	29° 39' 37.062" N
80° 7' 9.293" E	29° 39' 37.028" N
80° 7' 3.202" E	29° 39' 27.855" N
80° 7' 1.905" E	29° 39' 24.849" N
80° 7' 4.664" E	29° 39' 24.684" N
80° 7' 6.889" E	29° 39' 24.092" N
80° 7' 7.798" E	29° 39' 25.482" N
80° 7' 9.513" E	29° 39' 27.580" N
80° 7' 8.059" E	29° 39' 29.716" N
80° 7' 5.592" E	29° 39' 31.498" N
80° 7' 5.151" E	29° 39' 32.725" N
80° 7' 1.454" E	29° 39' 32.449" N
80° 6' 58.325" E	29° 39' 31.257" N
80° 6' 56.068" E	29° 39' 30.163" N
80° 6' 52.569" E	29° 39' 28.106" N
80° 6' 53.147" E	29° 39' 26.496" N
80° 6' 54.092" E	29° 39' 26.816" N
80° 6' 55.344" E	29° 39' 24.977" N
80° 6' 56.496" E	29° 39' 25.369" N
80° 6' 58.590" E	29° 39' 24.963" N

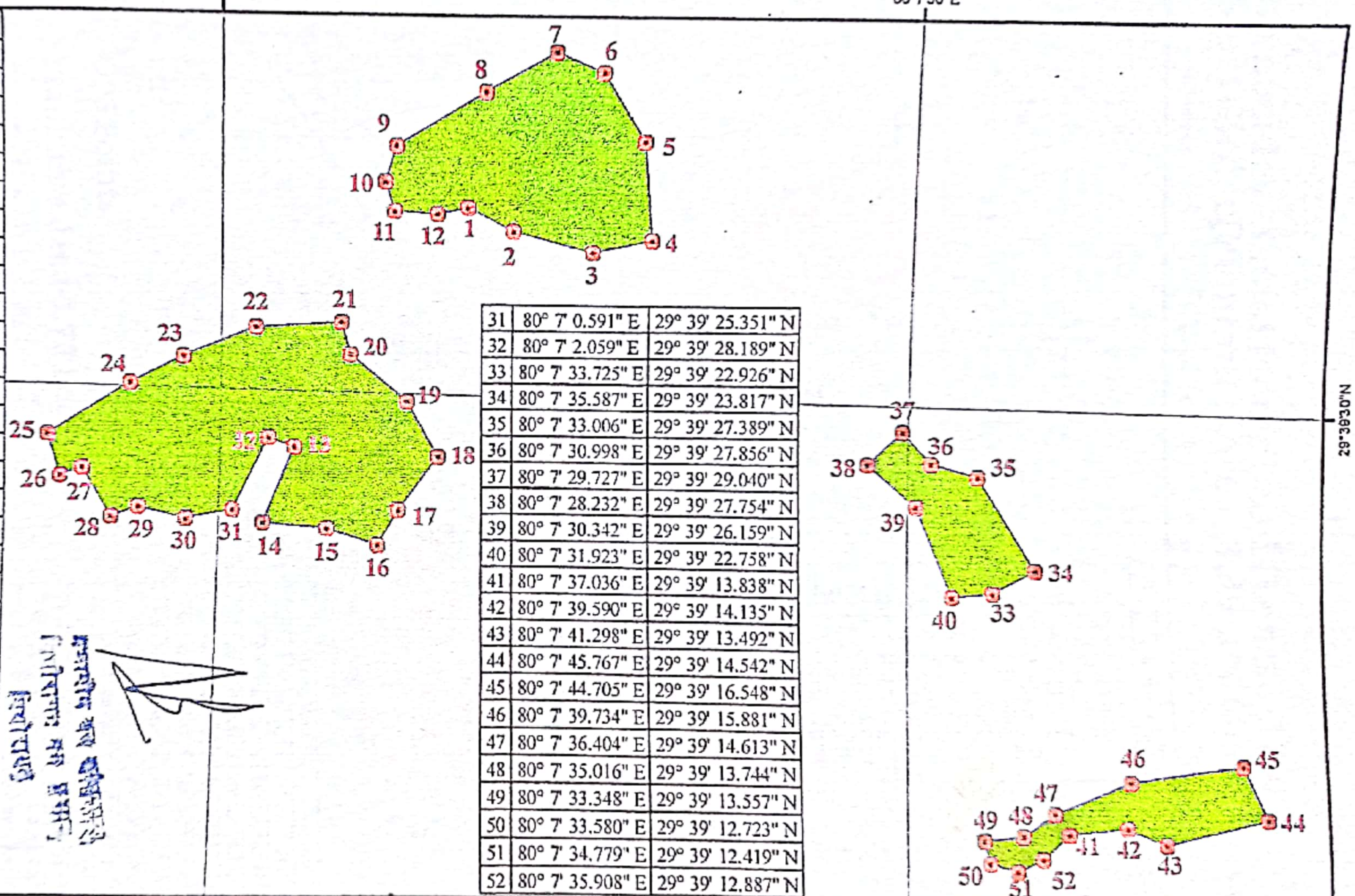

31	80° 7' 0.591" E	29° 39' 25.351" N
32	80° 7' 2.059" E	29° 39' 28.189" N
33	80° 7' 33.725" E	29° 39' 22.926" N
34	80° 7' 35.587" E	29° 39' 23.817" N
35	80° 7' 33.006" E	29° 39' 27.389" N
36	80° 7' 30.998" E	29° 39' 27.856" N
37	80° 7' 29.727" E	29° 39' 29.040" N
38	80° 7' 28.232" E	29° 39' 27.754" N
39	80° 7' 30.342" E	29° 39' 26.159" N
40	80° 7' 31.923" E	29° 39' 22.758" N
41	80° 7' 37.036" E	29° 39' 13.838" N
42	80° 7' 39.590" E	29° 39' 14.135" N
43	80° 7' 41.298" E	29° 39' 13.492" N
44	80° 7' 45.767" E	29° 39' 14.542" N
45	80° 7' 44.705" E	29° 39' 16.548" N
46	80° 7' 39.734" E	29° 39' 15.881" N
47	80° 7' 36.404" E	29° 39' 14.613" N
48	80° 7' 35.016" E	29° 39' 13.744" N
49	80° 7' 33.348" E	29° 39' 13.557" N
50	80° 7' 33.580" E	29° 39' 12.723" N
51	80° 7' 34.779" E	29° 39' 12.419" N
52	80° 7' 35.908" E	29° 39' 12.887" N

Legend

GPS Co ordinates

CA Land

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner

Khirmandey - Ganai Motor Road (Length-12.00km) With Steel Girder(Plantation Area- 3.39 hec Gunakitan civil)

1:4000

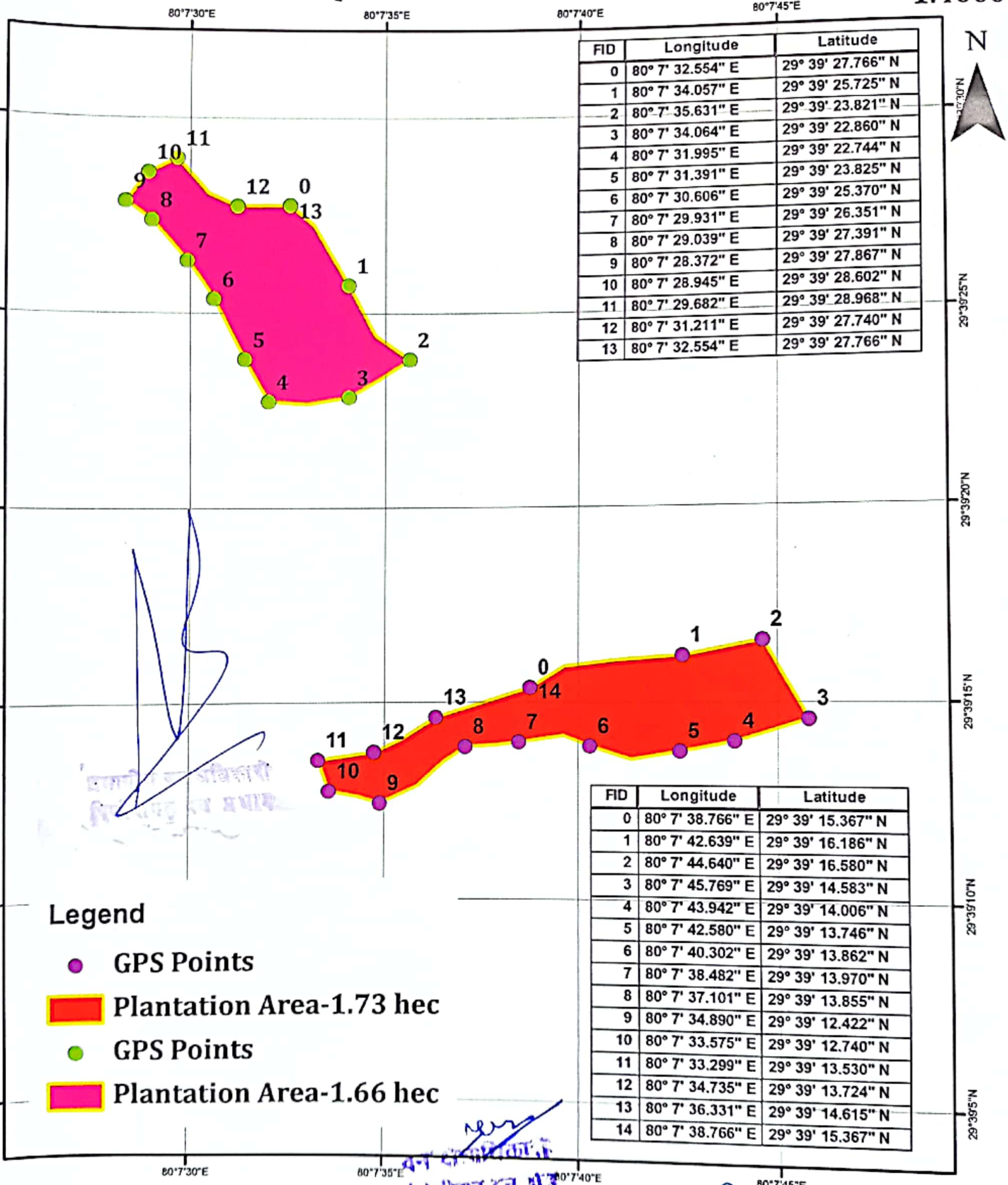

FID	Longitude	Latitude
0	80° 7' 32.554" E	29° 39' 27.766" N
1	80° 7' 34.057" E	29° 39' 25.725" N
2	80° 7' 35.631" E	29° 39' 23.821" N
3	80° 7' 34.064" E	29° 39' 22.860" N
4	80° 7' 31.995" E	29° 39' 22.744" N
5	80° 7' 31.391" E	29° 39' 23.825" N
6	80° 7' 30.606" E	29° 39' 25.370" N
7	80° 7' 29.931" E	29° 39' 26.351" N
8	80° 7' 29.039" E	29° 39' 27.391" N
9	80° 7' 28.372" E	29° 39' 27.867" N
10	80° 7' 28.945" E	29° 39' 28.602" N
11	80° 7' 29.682" E	29° 39' 28.968" N
12	80° 7' 31.211" E	29° 39' 27.740" N
13	80° 7' 32.554" E	29° 39' 27.766" N

FID	Longitude	Latitude
0	80° 7' 38.766" E	29° 39' 15.367" N
1	80° 7' 42.639" E	29° 39' 16.186" N
2	80° 7' 44.640" E	29° 39' 16.580" N
3	80° 7' 45.769" E	29° 39' 14.583" N
4	80° 7' 43.942" E	29° 39' 14.006" N
5	80° 7' 42.580" E	29° 39' 13.746" N
6	80° 7' 40.302" E	29° 39' 13.862" N
7	80° 7' 38.482" E	29° 39' 13.970" N
8	80° 7' 37.101" E	29° 39' 13.855" N
9	80° 7' 34.890" E	29° 39' 12.422" N
10	80° 7' 33.575" E	29° 39' 12.740" N
11	80° 7' 33.299" E	29° 39' 13.530" N
12	80° 7' 34.735" E	29° 39' 13.724" N
13	80° 7' 36.331" E	29° 39' 14.615" N
14	80° 7' 38.766" E	29° 39' 15.367" N

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner

Khirmandey - Ganai Motor Road(Length-12.00km) with Steel Girder (Plantation Area-4.76 hec. Gunakitan civil) 1:600

FID	Longitude	Latitude
0	80° 7' 12.838" E	29° 39' 42.360" N
1	80° 7' 14.421" E	29° 39' 43.217" N
2	80° 7' 16.500" E	29° 39' 42.578" N
3	80° 7' 17.756" E	29° 39' 41.327" N
4	80° 7' 18.178" E	29° 39' 38.473" N
5	80° 7' 18.727" E	29° 39' 36.133" N
6	80° 7' 16.057" E	29° 39' 35.730" N
7	80° 7' 13.792" E	29° 39' 36.303" N
8	80° 7' 12.568" E	29° 39' 36.510" N
9	80° 7' 9.341" E	29° 39' 37.033" N
10	80° 7' 7.438" E	29° 39' 37.110" N
11	80° 7' 7.488" E	29° 39' 39.551" N
12	80° 7' 9.904" E	29° 39' 40.957" N
13	80° 7' 12.838" E	29° 39' 42.360" N

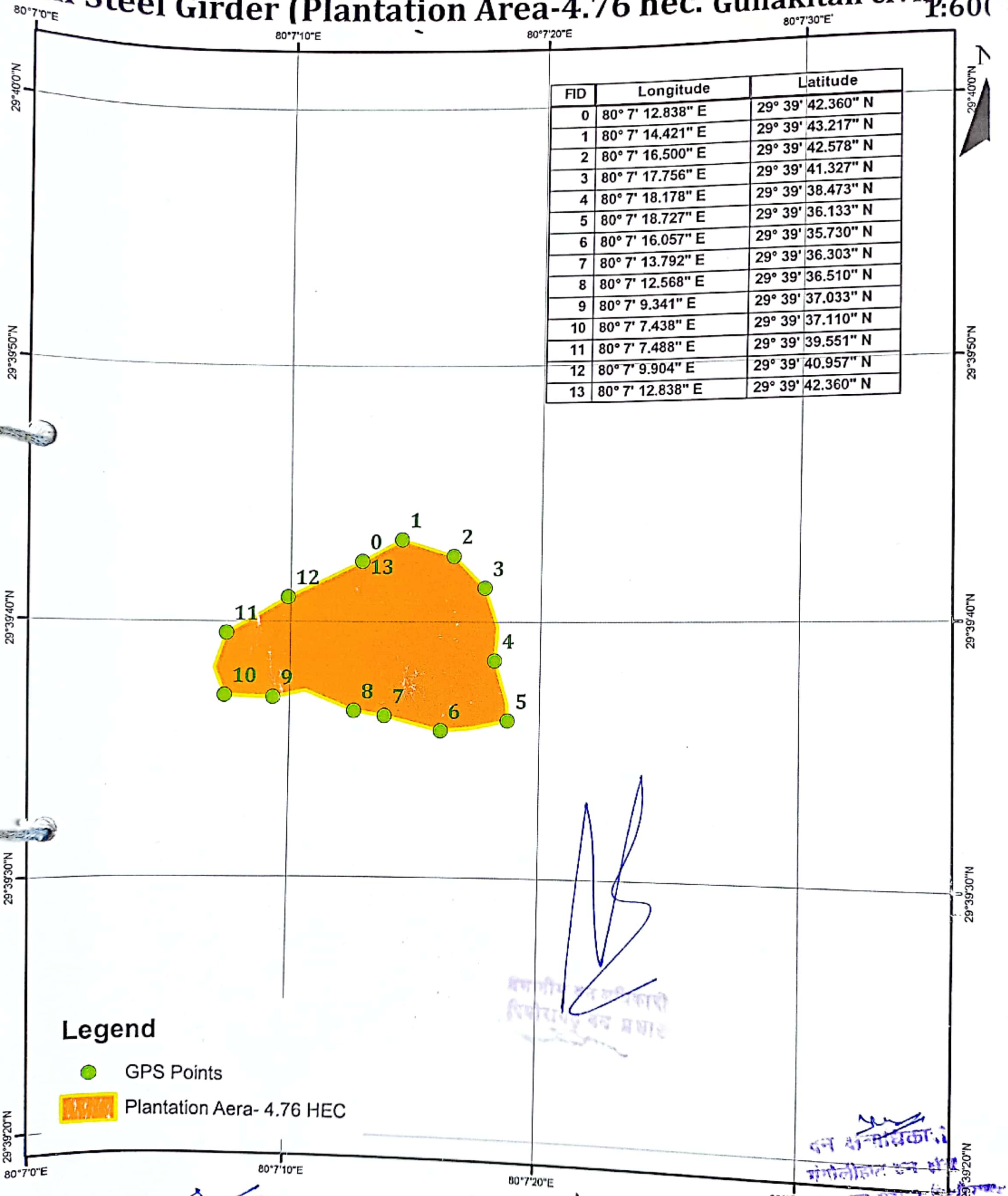

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Khirmandev - Ganai Motor Road(Length-12.00km) with Steel Girder (Plantation Area-7.42 hec. Gunakitan civil)

1:8000

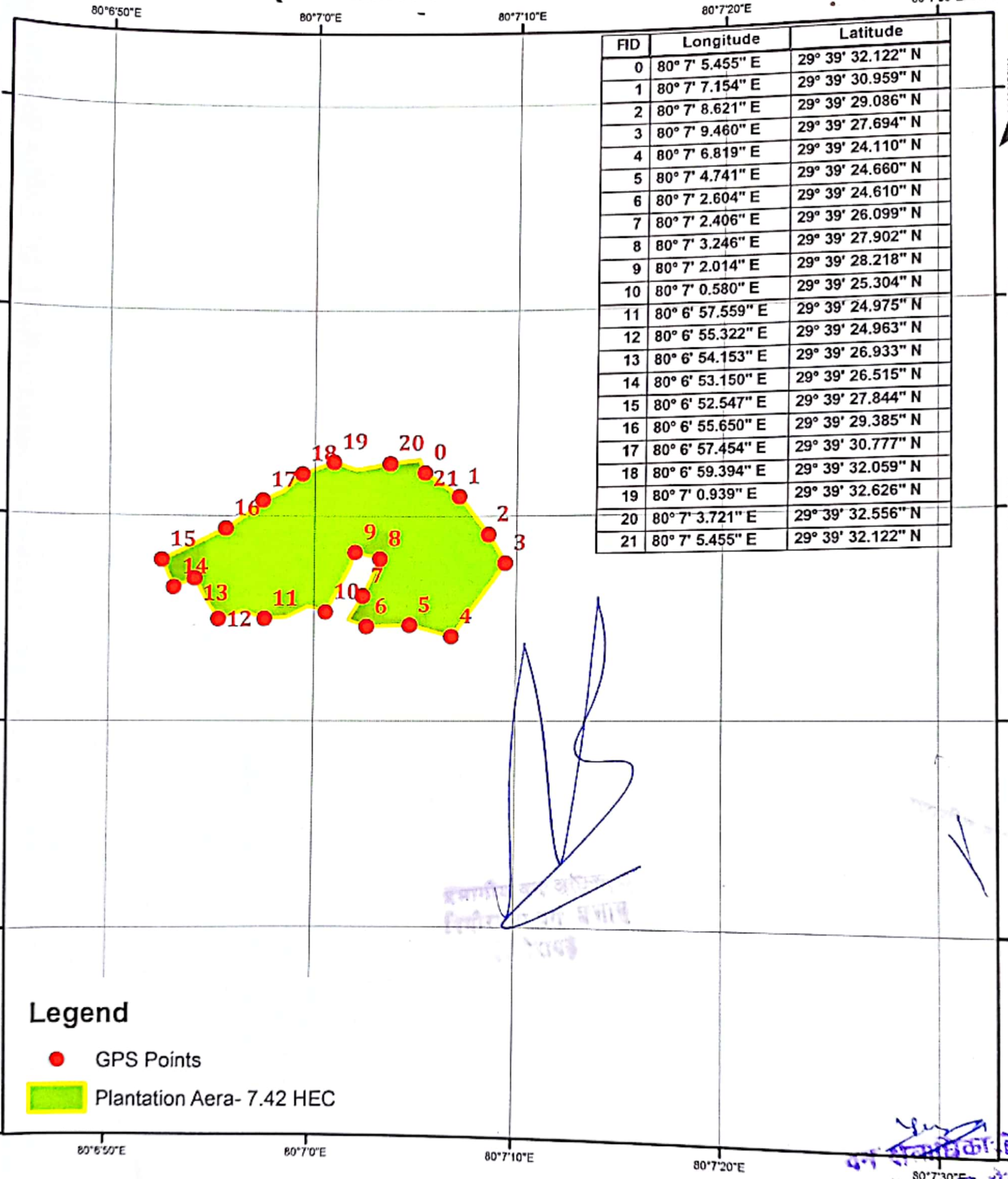

FID	Longitude	Latitude
0	80° 7' 5.455" E	29° 39' 32.122" N
1	80° 7' 7.154" E	29° 39' 30.959" N
2	80° 7' 8.621" E	29° 39' 29.086" N
3	80° 7' 9.460" E	29° 39' 27.694" N
4	80° 7' 6.819" E	29° 39' 24.110" N
5	80° 7' 4.741" E	29° 39' 24.660" N
6	80° 7' 2.604" E	29° 39' 24.610" N
7	80° 7' 2.406" E	29° 39' 26.099" N
8	80° 7' 3.246" E	29° 39' 27.902" N
9	80° 7' 2.014" E	29° 39' 28.218" N
10	80° 7' 0.580" E	29° 39' 25.304" N
11	80° 6' 57.559" E	29° 39' 24.975" N
12	80° 6' 55.322" E	29° 39' 24.963" N
13	80° 6' 54.153" E	29° 39' 26.933" N
14	80° 6' 53.150" E	29° 39' 26.515" N
15	80° 6' 52.547" E	29° 39' 27.844" N
16	80° 6' 55.650" E	29° 39' 29.385" N
17	80° 6' 57.454" E	29° 39' 30.777" N
18	80° 6' 59.394" E	29° 39' 32.059" N
19	80° 7' 0.939" E	29° 39' 32.626" N
20	80° 7' 3.721" E	29° 39' 32.556" N
21	80° 7' 5.455" E	29° 39' 32.122" N

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner

डाक सं० 84
27/नि.
19/01/2023

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/161/2020/एफ.सी./505 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में खिरमाण्डे–गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे0 वन भूमि के बदले 15.570 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार गंगोलीहाट में खिरमाण्डे–गणाई मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 7.785 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुनाकिटान पट्टी गणाई तहसील गणाईगंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–37 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 03 रकवा 1.134 हे0, 151 रकवा 0.598 हे0, 165 रकवा 1.894 हे0, 228 रकवा 1.316 हे0, 1033 रकवा 1.054 हे0, 1515 रकवा 1.250 हे0, 1519 रकवा 0.878 हे0, 2407 रकवा 0.938 हे0, 2408 रकवा 1.750 हे0, 2455 रकवा 2.563 हे0, 2655 रकवा 0.875 हे0, 2719 र कवा 0.688 हे0, 2771 रकवा 0.632 हे0 कुल 13 खेतों की 15.570 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाईगंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जनवरी ,04 , 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 666 /सात– 23 /2022–23 दिनांक जनवरी,06, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लो.नि.वि. बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

खण्डीय अभी० !–
17/01/2023

UTTARAKHAND

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

उत्तराखण्ड शासन

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1801 / 27सी दिनांक 21/01/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत खिरमाण्डे गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0 /06/161/2020/एफ0सी0/505 दि 05.08.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 15.57 हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम–गुनाकिटान,पट्टी–सिमलता,तहसील–गणाई गंगोली में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारकि हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल पलांटेशन से बचें। राज्य शासन द्वारा सही खसरा नम्बर की जानकारी प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार आंनलाईन(पार्ट–2) में सुधार किया जायेगा।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 666/सात–23/2022–23 दिनांक 06.01.2023 द्वारा 15.57 हे0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी है। आदेश की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त भूमि का दाखिल खारिज वनविभाग के नाम दर्ज कर लिया गया है। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालपन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख)रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	मान्य है।
	(ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेंगी। एफ.सी.ए. 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	मान्य है।

Scanned with CamScanner

	(घ) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि बाउचर संख्या 02 दिनांक 10.02. 2022(आई0डी0W03801422902221001 date 9-02-2022) एवं बाउचर संख्या 03दिनांक10.02. 2022(आई0डी0W03801422902221002 date 9-02-2022)द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 /1998–एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 7.785 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाउचर संख्या 02 दिनांक 10.02. 2022(आई0डी0W03801422902221001 date 9-02-2022) एवं बाउचर संख्या 03दिनांक10.02. 2022(आई0डी0W03801422902221002 date 9-02-2022)द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाउचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	मान्य है। शपथ पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 62 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	राज्य सरकार 12 कूड़ा निस्तारण स्थलों को दर्शाने वाली के0एम0एल0फाईल आंन लाईन पोर्टल पर अपलोड करेगी।	मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
9	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	मान्य है।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों	मान्य है।

Asb

Scanned with CamScanner

	किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	
12	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साइनेज लगाए जाएंगे।	मान्य है।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
14	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
15	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	मान्य है।
17	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।जिस परForward/Backword bearings अंकित हो।	मान्य है।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
20	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागूहोंगी।	मान्य है।
23	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।	मान्य है।
24	यदि कोईअन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	मान्य है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(इं0 संजीव भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

पत्रांक 180 / 27सी दिनांक 21 / 01 / 2023

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
2– अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो0नि0वि0,पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

Scanned with CamScanner

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 5(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।	अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।	अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

Scanned with CamScanner

		४	1–		
३७	बंजर ना० का०	* २	२६॥≡	1.131	राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१३३/XVIII(II)/२०१२-१८(१२०)/२०१० दिनांक १७.१२.२०१२ एवं कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या-666/सात-२३/२०२२-२३ दिनांक जनवरी ,06, 2023 के अनुपालन में गंगोलीहाट में खिरबाडे - [illegible] मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 7.703 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ग्रामसभा [illegible] गनाई तहसील गनाई गंगोली के गैर जमींदारी कब्ज़ा खतौनी खाता संख्या-67 श्रेणी-1(4) बंजर नाम [illegible] के खेत नम्बर 02 रकबा 1.129 है०, 151 रकबा 0.559 है०, 165 रकबा 1.834 है०, 228 रकबा 2.315 है० 323 रकबा 1.054 है०, 1513, रकबा 1.250 है०, 1519 रकबा 0.873 है०, 2407 रकबा 0.938 है०, 2403 रकबा 1.750 है०, 2455 रकबा 2.563 है०, 2655 रकबा 0.875 है०, 2719 रकबा 0.680 है०, 2771 रकबा 0.632 है० कुल 13 खेतो को 15.5[illegible] है० सिविल भूमि के [illegible] के नाम हस्तान्तरण कि जाती है।
		११	४॥	.113	
		४८	३।	[illegible]	
		४३६	॥	.114	
		* १२१	२६॥।≡	.532	
		१२३	२४।–	.506	
		१२४	४॥≡	.024	
		* १६५	७४॥≡	1.897	
		* २२८	६४॥।–	1.319	
		२९८	४।≡	.105	
		३६०	।≡	.008	
		४२०	॥–	.011	
		४२६	१≡	.024	
		४४६	६॥≡	.194	
		४८६	६≡	.124	
		६६२	४॥≡	.024	
		७०३	४॥≡	.114	
		७२१	१	.020	
		८३०	२	.040	
		८५१	१≡	.024	
		८८४	॥≡	.013	
		९०८	२१॥≡	.435	
		१०१०	१	.020	
		* १०३३	५२॥≡	1.057	
		११६०	१॥≡	.030	
		११६७	८।≡	.159	

[signature] 20.1.2023
ह० राजस्व उपनिरीक्षक
[illegible]

मु० पी० (रेव०) आर०-570 आ०प्र० [illegible] 27-12-85 - 3,66,000 - [illegible] - 11 - 1398 [illegible]

शर्त सं० 3

84
27 मी०
19/01/2023

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/161/2020/एफ.सी./505 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में खिरमाण्डे–गणाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.785 हे0 वन भूमि के बदले 15.570 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार गंगोलीहाट में खिरमाण्डे–गणाई मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 7.785 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गुनाकिटान पट्टी गणाई तहसील गणाईगंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–37 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 03 रकवा 1.134 हे0, 151 रकवा 0.598 हे0, 165 रकवा 1.894 हे0, 228 रकवा 1.316 हे0, 1033 रकवा 1.054 हे0, 1515 रकवा 1.250 हे0, 1519 रकवा 0.878 हे0, 2407 रकवा 0.938 हे0, 2408 रकवा 1.750 हे0, 2455 रकवा 2.563 हे0, 2655 रकवा 0.875 हे0, 2719 र कवा 0.688 हे0, 2771 रकवा 0.632 हे0 कुल 13 खेतों की 15.570 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाईगंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जनवरी 04, 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 666 /सात– 23 /2022–23 दिनांक जनवरी, 06, 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अरथाई खण्ड लो.नि.वि. बेरीनाग, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

खण्डीय अमीन !–
17/01/2023

Scanned with CamScanner

Date - 9-2-2022

Bill Type : Normal

saction ID - W03801422902221001

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देंखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : पिथौरागढ़

2- कोषागार का नाम : बेरीनाग

3- देयक की अवधि कब से .... कब तक

4- रिकार्ड कोड

1	0	3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड

3	8	0	1

6- देयक पंजी की क्रम संख्या

2	3

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

0

वाउचर दिनांक -

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

8- मतदेय/भारित : मतदेय

9- तेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4	2	2	9

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	24242297	20484208	3758089

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	90,00,000
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**90,00,000**

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**90,00,000**

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल कान्टीजेन्सी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 90,00,000 (Rupees Ninety Lacs Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
अतिक्रमण द्वारा रू0 -
स्वीकृत धनराशि रू0 90,00,000

Scanned with CamScanner

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
OP3801422902221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896147083956	9000000	0	0	9000000
				9000000	**0**	**0**	**9000000**

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
पौड़ी [illegible] ([illegible])

Scanned with CamScanner

Head of Account ..Khirmande Granai motor Road

FORM No. - 28 HAND RECEIPT
(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

Cash-book Voucher No. ....62.........dated......1/5/2022

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (90,00,000/= ....to. C.A.M.P.A

(2) Paid by me ....

RECEIVED from the .E.E. Ty. DIV... in charge of .P.W.D. Berinag

Sub-Division ......A.E........................Division the sum of the

Rs. (....Ninety Lakh only.......................................

Name of work or purpose for which is made ....N.P.V. & Compensentary Aforestation payment

(Amount in Vernacular)

c/s for Rs 90,00,000/=

Date....................

Witness.....................

Signature of Payees

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिशासी

पत्रांक 181 / 2

प्रतिलिपि — 1— सम्बन्धित ठेकेदार
2— देयकं हेतु
3— उपकोषाधिकारी, बेरीनाग।

Scanned with CamScanner

Date - 9-2-2022

Transaction ID - W03801422902221002

Bill Type : Normal

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : पिथौरागढ़

2- कोषागार का नाम : बेरीनाग

3- देयक की अवधि कब से .... कब तक

4- रिकार्ड कोड: 1 0 3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड: 3 8 0 1

6- देयक पंजी की क्रम संख्या: 2 4

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है): 0 — वाउचर दिनांक: -

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

8- मतदेय/भारित : मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक): 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम: अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड: 4 2 2 9

(हस्तलिखित: अधिशासी ... लोक निर्माण विभाग बेरीनाग (पिथौरागढ़))

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या — 14- सोर्स कोड :1 — 15- सेक्टर कोड :2 — 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	24242297	24242297	0

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	37,58,089
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**37,58,089**

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	37,58,089

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउंटरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

(मुहर: अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग (पिथौरागढ़))

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 37,58,089 (Rupees Thirty Seven Lacs Fifty Eight Thousand Eighty Nine Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
... द्वारा रू0 -

Scanned with CamScanner

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

S. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP3801422902221002 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896147083956	3758089	0	0	3758089
					3758089	**0**	**0**	**3758089**

[illegible] अभियन्ता
[illegible], लोक निर्माण विभाग
[illegible] (पिथौरागढ़)

Scanned with CamScanner

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-02-2022

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6147083956
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/161/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD BerinagPithoragarh
Amount(in Rs)	12758089.14/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Seven Lakh Fifty-Eight Thousand and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896147083956 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आंध्रा Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-02-2022

Agency Name.	EE TY DIV PWD BERINAG
Application No.	6147083956
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/161/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD Berinag Pithoragarh
Amount(in Rs)	12758089.14/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Seven Lakh Fifty-Eight Thousand and Eighty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896147083956 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Scanned with CamScanner

Head of Account ...Khirmande Granai motor Road

FORM No. - 28 HAND RECEIPT
(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

Cash-book Voucher No. ......03........dated...15/2/22........

(1) Paid by Cheque/Cash Rupees (37,58,089)=................to. C.A.M.P.A

(2) Paid by me ....

RECEIVED from the ..E.E. Ty. Div.. in charge of ...P.W.D. Berinag...

Sub-Division ......A.E.......................................Division the sum of the

Rs. (...Thirty seven lakh fifty eight thousand eighty nine...)

Name of work or purpose for which is made ....

......N.P.V & Campensentary Aforestation Payment

(Amount in Vernacular)

Date.......................

S/S for Rs 37,58,089=

Witness..............

3801422292221602

9-2-22 Rs 3758089=

A.E.

Signature of Payees

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कार्यालय अधिश

पत्रांक 180

प्रतिलिपि – 1– सम्बन्धित ठेकेदार
2– देयक हेतु
3– उपकोषाधिकारी बेरीनाग।

Scanned with CamScanner

४	1—	
*३	४६॥≡	1.1[illegible]
११	५॥	.11[illegible]
४८	३।	[illegible]
१३६	॥	[illegible]
*१५१	२८॥।=	.59[illegible]
१५३	२५।—	.566
१५४	४॥≡	.094
*१६५	३८४॥≡	1.69[illegible]
*२२८	६५।॥—	1.31[illegible]
२९८	५।=	.10[illegible]
३६०	1=	[illegible]
४२०	॥—	.011
४२५	९≡	.0[illegible]0
४४५	६॥≡	.194
४=५	६≡	.124
[illegible]३२	४॥≡	.094
[illegible]	६॥=	.114

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-[illegible]/XVIII(II)/2022-18(12)/2010 दिनांक 17.12.2012 एवं कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या-666/सात-रा./2022-23 दिनांक जनवरी 06, 2023 के अनुपालन में गंगोलीहाट में खिरमाण्डे - गनाई मोटर मार्ग निर्माण की जा रही 7.7[illegible]3 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम [illegible] पट्टी गनाई तहसील गनाई गंगोली के गैर जमींदारी किस्म खतौनी खाता संख्या-67 श्रेणी-1(क) बंजर नयाबाद के खेत नम्बर 03 रकबा 1.134 है०, 151 रकबा 0.598 है०, 165 रकबा 1.694 है०, 228 रकबा 1.345 है०, 1523 रकबा 1.054 है०, 1515 रकबा 1.250 है०, 1519 रकबा 0.878 है०, 2407 रकबा 0.938 है०, 2405 रकबा 1.750 है०, 2455 रकबा 2.563 है०, 2655 रकबा 0.643 है०, 2719 रकबा 0.667 है०, 2771 रकबा 0.632 है० कुल 13 खेतों की 15.5[illegible] है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण की जाती है।

ह० [signature]
20/1/2023
राजस्व उपनिरीक्षक
[illegible]

40

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
संख्या– 295 /सात–भू.ह./2022–23

दिनांक मई,06 , 2024

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
बेरीनाग।

विषय– जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सुकल्याड़ी बैण्ड से पम्या मन्तोली गुरैना आगर मोटर मार्ग हेतु 1.8 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या–148/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण–प्रस्ताव/(पेशकार)2024 दिनांक 29.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सुकल्याड़ी बैण्ड से पम्या मन्तोली गुरैना आगर मोटर मार्ग हेतु 1.8 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम गुरैना की 3.6 हे0 राज्य भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु प्रस्ताव तहसीलदार बेरीनाग की आख्या दिनांक 22.09.2023 के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना अवगत कराते हुए प्रेषित प्रस्ताव की छाया प्रतियां उपलब्ध करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तहसीलदार बेरीनाग के पत्र संख्या–825/क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण–प्रस्ताव/र.का./2023–24 दिनांक 22.09.2023 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त नही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण हेतु निम्नानुसार अभिलेख/आख्या अपेक्षित हैं–

1. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्गत सैद्धानितक स्वीकृति पत्र की सत्यापित प्रति।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का नक्शा, खसरा, नकल खतौनी मूल प्रतियां।
3. ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अतः प्रकरण में उक्तानुसार भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव अपनी आख्या/संस्तुति सहित शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड बेरीनाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

Scanned with CamScanner